फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवाबगंज

दि0-15.04.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त बन्टी पुत्र रामनिवास कश्यप निवासी मोहल्ला कनसरी थाना बागवाला जिला एटा मु0अ0स0- 217/2025 वाद संख्या 612/2025 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए *मा0 न्यायालय एडीजे-07/ एनडीपीएस एक्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 15.04.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 07 माह 12 दिन का कठोर कारावास की सजा व 5000 /- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

एडीजीसी- श्री शील रतन आनन्द

को0 मो0 म0 हे0का0 सुशीला

पैरोकार हे0का0 विपिन